न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :–रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
18/2013	19.08.2013	02.02.2021

डनवान

1 अन्जू पुत्री खुशीराम पोत्री ग्यारसराम जाति अहीर निवासी चादपुर तहसील मुण्डावर पत्नि मुकेश कुमार निवासी बिछाला तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

–: प्रार्थिया

बनाम

1. बसन्ती पत्नी स्व0 ग्यारसीराम (मृतक)
2. ब्रहमा देवी पत्नी स्व0 होसियार सिंह
3.हवा सिंह पुत्र होसियार सिंह
4. सतीश पुत्र होसियार सिंह (मृतक)
4/1 सचिन पुत्र सतीश
4/2 सुमन पुत्र सतीश
5. मु0 लाली पत्नी खुशीराम
6. प्यारेलाल पुत्र ग्यारसी
7. दयानन्द पुत्र ग्यारसी जाति अहीरयान निवासी चादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. संरपच ग्राम पंचायत चादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. सुमन पुत्र खुशीराम
10. कृपा पुत्र खुशीराम
11 गीता पुत्री खुशीराम अहीर निवासी चादपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: रेस्पोडेंट

अपील इंन्तकाल नम्बर 369 दिनांक 07.11.1997 विरूद्ध ग्राम पंचायत चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

–: निर्णय :–

दिनांक :–02.02.2021

(1) अपीलान्टान की अपील रही कि –

1. यह है कि मिन अपीलान्ट के दादा ग्यारसीराम के नाम खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सुरजपुरा तहसील मुण्डावचर में खसरा नम्बर 170/1.04, 321/0.03 व 322/1.91 है0 व 275 रकबा 03 बीधा 8 बिस्वा स्थित थी। जिसकी मृत्यु होने पर विरासत इन्तकाल 369 दिनांक 07.11.1997 दरज व मन्जूर करते समय मिन– अपीलान्ट [illegible] 09 लगा0 11 के नाम क`साथ दरज करना चाहिये था क्योंकि मिन अपीलान्ट [illegible] रेस्पा[illegible] 09 लगा 11 खुशीराम की पुत्रीया है खुशीराम की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी। इस [illegible] हमारे दादा ग्यारसीराम की विरासत में खुशीराम के 1/5 हिस्से में मिन अपीलान्ट [illegible] रेस्पा0 का नाम आवश्यक एवं कानूनन दरज करना चाहिये था जो ग्राम पंचायत ने विरासत इन्तकाल नम्बर 369 मन्जूर करते समय अहम गलती की है। दिनांक 07.11.199[illegible] लत की है जो आदेश मिन अपीलान्ट के हको के विपरित होने के कारण अपीलीया है।
2. यह है कि उक्त गलत आदेश की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक को पटवारी हल्का से हुई जिस पर मिन अपीलान्ट ने इन्तकाल की नकल हेतु प्रार्थना पत्र उसी दिन पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:37 IST
Reason: SelfAttested

४५६–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

जो नकल को प्राप्त होने पर अविलम्ब की अपील पेश की जा रही है दिनांक 07.11.1997 से जानकारी होने दिनांक का समय कन्डोन किये जाने बाबत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

3. अपीलान्टान का अनुतोष रहा कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय ग्राम पंचायत इं0स0 369 दिनांक 07.11.1997 को निरस्त फरमाया जावे।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। सम्यक तामील हुई। अपीलान्टान की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल इतंकाल सं. 369, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छायाप्रति पेश किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये।
5. बहस वकील अपीलान्टान सुनी गयी।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
7. इन्तकाल सं0 369 ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर को गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 07.11.1997 को खारीज किया गया है जो आदेश मातहत अदालत हरसूरत में काबिले अपास्त है।
8. वस्तुतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

न्यायालय अपीलान्टान की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत चांदपुर पं0स0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 का आदेश दिनांक 07.11.1997 बाबत इन्तकाल सं0 369 ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, मुण्डावर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर, समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षकर न्यायालय में सुनाया गया।

02.02.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:37 IST
Reason: SelfAttested